कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 1683 / FP/UK/ROAD/47302/2020 देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/47302/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–मोरी, उत्तरकाशी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 11.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/ उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 378 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 18/12/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/47302/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
6. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी ।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–मोरी, उत्तरकाशी ।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/47302/2020)

जनपद–उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 2.565 है0 आरक्षित वन भूमि तथा 8.55 है0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 11.115 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–उत्तरकाशी / उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार / राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी एवं निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 378 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

(D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 18/12/2020
स्थान : देहरादून